आवश्यक

संख्या: 51/2021/1449286/12-2099/166/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 31 अगस्त, 2021

विषय: प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार क्रिया-कलापों में मा0 जन-प्रतिनिधिगणों की सहभागिता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत हैं कि प्रदेश के कृषकों के अधिसूचित फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के विरूद्ध बीमा कवर प्रदान करने, किसानों को कृषि में प्रगतिशील कृषि तरीके अपनाने, उच्च मूल्य आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने एवं कृषि ऋण प्रवाह की निरन्तरता बनाये रखने एवं आपदा वर्षो में कृषि आय को स्थिर रखने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का संचालन ग्राम पंचायत स्तर पर प्रमुख फसलों को अधिसूचित करते हुए कराया जा रहा है एवं चयनित जनपदों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना का संचालन ब्लॉक स्तर पर स्थापित स्वचालित मौसम मापी यंत्रों को योजना का इकाई मानते हुए संचालित किया जा रहा है।

2. बीमा योजनाओं के प्रति कृषकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ-साथ कृषकों की योजना के सम्बन्ध में शंकाओं एवं जिज्ञासाओं के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा भारत की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ''आजादी के अमृत महोत्सव @75'' के अन्तर्गत खरीफ 2021 मौसम में दिनांक 01 जुलाई, 2021 से दिनांक 07 जुलाई, 2021 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह मनाया गया एवं रबी 2021-22 मौसम में दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 से दिनाक 07 दिसम्बर, 2021 तक फसल बीमा योजना सप्ताह मनाये जाने एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की तिथि दिनांक 13 जनवरी, 2022 को योजना व्यापक रूप से मनाये जाने का कार्यक्रम है। उक्त सभी कार्यक्रमों में मा0 जन-प्रतिनिधिगणों की सहभागिता से योजना का, व्यापक प्रचार-प्रसार होगा एवं योजना में कृषकों की सहभागिता बढेगी।

3. प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या: 2020/ 1344/12-2-2020-60(3)/2016 दिनांक 21 जुलाई, 2020 द्वारा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में निम्नवत निर्देश दिये गये हैं:-

3.1 मौसम के प्रारम्भ में बीमा कम्पनी द्वारा बैंक कार्मिकों व जनसुविधा केन्द्रों के कार्मिकों को योजना के प्राविधानों एवं पोर्टल पर डाटा अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जायेगा।

3.2 मौसम के प्रारम्भ में ही बीमा कम्पनी द्वारा राज्य व जनपद स्तर पर फसल बीमा की कार्यशाला का आयोजन कराया जायेगा। कार्यशाला में राज्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी, बैंकों तथा जनसुविधा केन्द्रों के संचालक, जनप्रतिनिधि, कृषक, कृषि उत्पादक संघ आदि की प्रतिभागिता

http://sfcsanadesh.up.gov.in

सुनिश्चित की जायेगी, ताकि योजना के प्राविधानों व समय-सीमा की जानकारी सम्बन्धित को सुलभ हो सके।

3.3 बीमा कम्पनी द्वारा योजना का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार के विविध संसाधनों का उपयोग करते हुए ग्राम स्तर तक कराया जायेगा। बैंक शाखाओं के स्तर पर बीमा कम्पनी का पूर्ण पता व अधिकारी का मोबाइल नम्बर, बीमा एजेण्ट का सम्पर्क विवरण, टोल फ्री नम्बर आदि प्रदर्शित की जायेगी।

3.4 स्थानीय प्रिण्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा अन्य लोकप्रिय माध्यमों से ग्रामपंचायत स्तर तक योजना का प्रचार-प्रसार कराया जायेगा।

3.5 जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों, मा0 मंत्रीगण को योजना की जानकारी तथा अद्यावधिक प्रगति रिपोर्ट बीमा कम्पनी द्वारा समय-समय पर सम्पर्क कर तथा अन्य संसाधनों का उपयोग कर उपलब्ध करायी जायेगी।

3.6 अपने कार्यक्षेत्र के प्रत्येक जनपदों में बैंक शाखाओं एवं जनसुविधा केन्द्र के स्तर पर पर्याप्त संख्या में घोषणा पत्र व प्रस्ताव फार्म की आपूर्ति राज्य सरकार की अधिसूचना जारी किये जाने के 30 कार्यदिवस के अन्दर सुनिश्चित की जाएगी।

3.7 ब्लाक स्तर पर नियुक्त किये गये प्रत्येक बीमा मध्यस्थ का कृषकों द्वारा सम्पर्क करने के समय, दिन व स्थान आदि का बैंक शाखाओं/बीमा ईकाई स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जायेगा, जिससे कृषक सुगमता से उनसे सम्पर्क कर सके।

3.8 बीमा कम्पनी द्वारा टोलफ्री नं0 जारी किये जायेंगे, जिस पर कृषकों द्वारा स्थानिक आपदाओं व फसल कटाई के आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल की क्षति की स्थिति में योजना के प्राविधानों के अनुरूप आपदा के 72 घंटे के अन्दर व्यक्तिगत क्षति की सूचना दी जा सके।

3.9 बीमा कम्पनी द्वारा बैंक शाखाओं को क्षतिपूर्ति की धनराशि के भुगतान के 30 कार्यदिवस के अंदर बैंकों से भुगतान की गई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा एवं निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा।

3.10 बीमा कम्पनी द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के जनपदों में योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रत्येक मौसम में अग्रिम रूप से केन्द्र व राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

4. अतएव प्रश्नगत योजनाओं के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद के उप कृषि निदेशक (योजना के नोडल अधिकारी) को पुन: निर्देशित करें कि वह उक्त योजनाओं का लाभ कृषकों को अधिकाधिक प्रदान किए जाने हेतु, योजना के प्रचार-प्रसार के विभिन्न क्रिया-कलापों, जागरूकता कार्यक्रमों में मा0 जनप्रतिनिधियों विशेष रूप से मा0 संसद सदस्य, मा0 सदस्य विधान परिषद, मा0 सदस्य विधान सभा, मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान तथा अन्य पंचायत प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि कृषकों की योजना में अधिक से अधिक भागीदारी हो सके और उन्हें फसलों की दैवीय आपदा के विरूद्ध बीमा कवर प्रदान करते हुए योजना का अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:51/2021/1449286(1)/12-2099/166/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली,
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तरप्रदेश,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
4. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश,
5. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
6. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
7. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in